भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 490
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के लिए डिजिटल पहचान

490. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले पाँच वर्षों में किसानों को जारी की गई डिजिटल पहुंचान की राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र में ज़िलावार संख्या कितनी है और उसके लिए नियत लक्ष्य क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए ज़िलों का परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) पुराने और त्रुटिपूर्ण भूमि अभिलेख का अद्यतन करने के लिए उठाए जा रहे कदम क्या हैं और अब तक कैडेस्ट्रल नक्शों का कितना भाग डिजिटाइज़ किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने कृषि के लिए कोई अलग डेटा नीति तैयार की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएँ और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एग्री स्टैक की सुविधाएँ किसानों, खेतिहर मज़दूरों और बटाईदारों को उपलब्ध कराई गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार द्वारा सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। इस मिशन में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र के निर्माण तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली अन्य आईटी पहलों की परिकल्पना की गई है, जिससे देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि इकोसिस्टम को सक्षम बनाया जा सके। इससे किसान-हितैषी नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और वे विश्वसनीय बनेंगे। फसल संबंधी जानकारी सभी किसानों को समय पर उपलब्ध होगी। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं अर्थात् भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जो सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई और अनुरक्षित की जाती हैं। सरकार द्वारा मार्च 2027 तक 11 करोड़ किसान पहचान पत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 01.02.2026 तक 8.35 करोड़ से अधिक किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 1,31,20,468 करोड़ किसान पहचान पत्र शामिल हैं। किसान पहचान पत्रों का राज्यवार और महाराष्ट्र के संबंध में जिला-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) इसके अतिरिक्त, खरीफ 2025 में, 604 जिलों में 28.5 करोड़ से अधिक भूखंडों को कवर करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में वर्ष 2021 में शुरू की गई ई-पिक पहानी को वर्ष 2023 से पायलट आधार पर अपग्रेड किया गया है तथा यह रबी 2024 सीजन से कार्यान्वित है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य डिजिटल फसल सर्वेक्षण के तहत 100 प्रतिशत भूस्वामियों के भूखंडों को कवर करना है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि किसान रजिस्ट्री के तहत, किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण के लिए लाइव एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से रिकोर्ड्स ऑफ राइट्स डेटा (7/12

अंश) साझा किया जाता है। अतः वर्तमान डेटा रिकोर्ड्स ऑफ राइट्स डेटाबेस के अनुसार सटीक है। ई-फरफर मॉड्यूल भी सक्रिय है; तथा रिकोर्ड्स ऑफ राइट्स डेटाबेस में किसान आईडी को शामिल करने का परीक्षण किया जा चुका है। जियो-रेफरेंस्ड मैप्स रजिस्ट्री के अंतर्गत 41000 से अधिक डिजिटाइज्ड मैप्स हैं, तथा इसके एपीआई साझा किए गए हैं।

(घ) राज्य किसान रजिस्ट्री, जो एग्रीस्टैक का एक घटक है, एक फेडेरेटेड संरचना में निर्मित है, जिसका अर्थ है कि डेटा का स्वामित्व संबंधित राज्यों के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार एग्रीस्टैक विकसित किया है ताकि किसानों के डेटा की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों का डेटा केवल उनकी सहमति से ही एकत्र किया जाए और किसानों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिकृत संस्थाओं के साथ साझा करने के लिए अपने डेटा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो। भारत सरकार एग्रीस्टैक में सुदृढ़ डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, जो इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करती है। एग्रीस्टैक किसानों की जानकारी को एन्क्रिप्टेड तरीके से संग्रहीत करता है ताकि केवल निर्दिष्ट सिस्टम ही इसे पढ़ सके। सुरक्षित एपीआई और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण सभी प्रकार के डेटा आदान-प्रदान को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा तक नियंत्रित पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार आईटी सिस्टम में संग्रहीत डेटा की सुरक्षा के लिए इन सभी आईटी सिस्टमों का नियमित सुरक्षा ऑडिट करती है।

(ड.): डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत राज्य किसान रजिस्ट्री में महिला किसानों सहित सभी भूमिधारक किसान शामिल हैं। किसान रजिस्ट्री आवेदन में कास्तकार और पट्टेदार किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान है। राज्य कास्तकार और पट्टेदार किसानों संबंधी अपनी नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकता है।

******

दिनांक 03.02.206 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 490 से संबंधित अनुबंध

क्रं. सं.	जिले का नाम	किसान पहचान पत्रों की कुल संख्या (दिनांक 01.02.2026 के अनुसार)
1	अकोला	256091
2	अमरावती	419024
3	बुलढाणा	487555
4	वाशिम	226292
5	यवतमाल	437298
6	बीड	545680
7	छत्रपति संभाजीनगर	541025
8	धाराशिव	385171
9	हिंगोली	247624
10	जालना	447700
11	लातूर	430608
12	नांदेड़	599364
13	परभणी	374410
14	पालघर	130255
15	रायगढ़	189594
16	रत्नागिरी	273766
17	सिंधुदुर्ग	167579
18	ठाणे	92458
19	भंडारा	241267
20	चंद्रपुर	333575
21	गढ़चिरौली	170264
22	गोंदिया	261158
23	नागपुर	248384
24	वर्धा	201263
25	अहिल्यानगर	885347
26	धुले	212495
27	जलगांव	555233
28	नंदुरबार	128955
29	नासिक	642705
30	कोल्हापुर	516520
31	पुणे	661757
32	सांगली	496927
33	सतारा	605225
34	सोलापुर	707558
35	मुंबई उपनगर	341
	राज्य कुल	**13120468**

****